भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 235

(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की शुरुआत

235. श्री के. राधाकृष्णन:

श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विकल्प के रूप में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बनाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उद्देश्यों, निधियन पैटर्न और मजदूरी दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की परियोजनाओं की शेल्फ की तुलना में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन की तुलना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विपरीत विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन में 100 दिनों के कार्य की कानूनी गारंटी का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 नामक एक नया अधिनियम दिसंबर, 2025 में अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों

के अनुपालन में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तब से वीबी- जी राम जी योजना अधिसूचित कर दी है और इसे 01.07.2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

(ख): विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025) के मुख्य उद्देश्य अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) के अनुसार, वीबी- जी राम जी एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी और केंद्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच निधि साझाकरण का पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर) के लिए 90:10 तथा विधायिका वाले अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 होगा।

दिनांक 30.06.2026 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत देय मजदूरी दरों को अधिसूचित कर दिया है। संशोधित मजदूरी दर 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी है। संशोधित मजदूरी दर की मुख्य विशेषता ₹300 को अंतरिम आधार मजदूरी दर के रूप में निर्धारित करना है।

वीबी-जी राम जी के तहत अंतरिम मजदूरी दर के निर्धारण के परिणामस्वरूप, औसत राष्ट्रीय अधिसूचित मजदूरी दर मनरेगा के तहत ₹298.8 प्रति दिन से बढ़कर वीबी-जी राम जी के तहत ₹327.4 प्रति दिन हो गई है, जो ₹28.6 प्रति दिन की औसत वृद्धि को दर्शाती है। देश भर में औसत प्रतिशत वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वीबी-जी राम जी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दरें (रुपये में) अनुबंध-II में दी गई हैं।

(ग): अधिनियम की धारा 4(3) के तहत, ग्रामीण कार्यों की योजना का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 8 के अनुसार, नए कार्यों को शुरू करते समय, आयोजना मानदंडों और स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अध्यधीन, चल रहे या अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(घ): वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में तत्कालीन महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-III पर दी गई है।

विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी- जी राम जी योजना के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का कार्यान्वयन 1 जुलाई, 2026 से शुरू हो चुका है और 'वीबी-जी राम जी' योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रम-दिवस सृजित किए जा चुके हैं।

(ङ): विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 में प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो। तदनुसार, यह अधिनियम अब निरस्त हो चुके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की तुलना में उच्च वैधानिक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

यह अधिनियम सतत ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं पर आधारित एक अभिसरण-आधारित नियोजन रूपरेखा, प्रौद्योगिकी-सक्षम कार्यान्वयन और पारदर्शी निगरानी तंत्र के माध्यम से टिकाऊ तथा उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देकर आजीविका सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ करता है।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के किए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

i. इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों की बढ़ी हुई वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करके ग्रामीण विकास ढांचे को विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, जिससे वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढांचे में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम हो सकें।

ii. सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, जो सामूहिक रूप से विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक का निर्माण करते हैं; जिसमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे और खराब मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष कार्यों पर विषयगत ध्यान केंद्रित किया गया है।

iii. कृषि के व्यस्ततम समय के दौरान कृषि-श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता को सुगम बनाना, और ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी-रोजगार गारंटी को ध्यान में रखना।

iv. विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति-आधारित आयोजना और संपूर्ण सरकार डिलिवरी को संस्थागत रूप देना; जो ग्राम पंचायतों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत हों; तथा भू-स्थानिक प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जिला और राज्य आयोजना तंत्र द्वारा संचालित हों, और ऐसी योजनाओं को ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर समेकित किया गया हो।

v. एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से सुशासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को आधुनिक बनाना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, वास्तविक-समय प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा आयोजना, लेखापरीक्षा और धोखाधड़ी जोखिम न्यूनीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है।

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वीबी-जी राम जी योजना के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिसूचित मजदूरी दर (रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महात्मा गांधी नरेगा (2025-26) के तहत मजदूरी दर रु.	वीबी-जी राम जी के तहत मज़दूरी दर (2026-27) रु.
1	आंध्र प्रदेश	307	312
2	अरुणाचल प्रदेश	241	300
3	असम	256	300
4	बिहार	255	300
5	छत्तीसगढ	261	300
6	गोवा	378	406
7	गुजरात	288	300
8	हरियाणा	400	409
9क	हिमाचल प्रदेश (गैर-अनुसूचित)	247	300
9ख	हिमाचल प्रदेश (अनुसूचित)	309	375
10	जम्मू एवं कश्मीर	272	300
11	लद्दाख	272	300
12	झारखंड	255	300
13	कर्नाटक	370	382
14	केरल	369	401
15	मध्य प्रदेश	261	300
16	महाराष्ट्र	312	317
17	मणिपुर	284	300
18	मेघालय	272	300
19	मिजोरम	281	300
20	नागालैंड	241	300
21	ओडिशा	273	300
22	पंजाब	346	360
23	राजस्थान	281	300

24क	सिक्किम	259	300
24ख	सिक्किम (ग्नथांग, लाचुंग, लाचेन)	389	450
25	तमिलनाडु	336	345
26	तेलंगाना	307	308
27	त्रिपुरा	256	300
28	उत्तर प्रदेश	252	300
29	उत्तराखंड	252	300
30	पश्चिम बंगाल	260	300
31क	अंडमान जिला	342	348
31ख	निकोबार जिला	361	367
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	340	340
33	लक्षद्वीप	336	348
34	पुदुचेरी	336	347

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में रोज़गार पाने वाले परिवारों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य	रोज़गार पाने वाले परिवारों की संख्या	
		2024-25	**2025-26**
1	आंध्र प्रदेश	4693816	4286144
2	अरुणाचल प्रदेश	300927	339319
3	असम	1911671	1736279
4	बिहार	5109096	5143740
5	छत्तीसगढ	2559730	2370021
6	गोवा	3057	2469
7	गुजरात	907254	719679
8	हरियाणा	345718	282853
9	हिमाचल प्रदेश	718049	535349
10	जम्मू और कश्मीर	732178	739056
11	झारखंड	2022113	2279249
12	कर्नाटक	2910489	2273475
13	केरल	1371611	1252946
14	लद्दाख	33165	33177
15	मध्य प्रदेश	3859818	3993076
16	महाराष्ट्र	3006867	3605466
17	मणिपुर	525360	527048
18	मेघालय	469938	499383
19	मिजोरम	208998	216679
20	नागालैंड	210547	277095
21	ओडिशा	2338141	2478639
22	पंजाब	834467	779411
23	राजस्थान	5886109	4678494
24	सिक्किम	59838	54693
25	तमिलनाडु	6532197	5668291
26	तेलंगाना	2668863	2208274

27	त्रिपुरा	590760	581321
28	उत्तर प्रदेश	6525531	5375205
29	उत्तराखंड	432192	380022
30	पश्चिम बंगाल	0	0
31	अंडमान और निकोबार	3027	2073
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4644	5104
33	लक्षद्वीप	0	0
34	पुदुचेरी	46967	47689
	कुल	57823138	53371719